न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

R 3178 III/15

(24)

रामसुन्दर ब्राम्हण तनय श्री हीरालाल
ब्राम्हण साकिन तुर्री वृत कोठी तहसील
रघुराज नगर जिला सतना (म0प्र0)

—— ~~अपीलार्थी~~ निगरानीकर्ता / आवेदक

बनाम

पटवारी हल्का खमरिया तहसील रघुराज
नगर जिला सतना (म0प्र0)

—— ~~उत्तरवादी~~ गैरनिगरानीकर्ता / अनावेदक

~~अपील~~ निगरानी विरूद्ध अपर आयुक्त महोदय जिला रीवा के न्यायालय के प्रकरण कमांक 850 ~~अ~~/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 28.08.2014 अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षेप तथ्य यह है कि अपीलार्थी को ग्राम तुर्री तहसील रघुराज नगर जिला सतना के आराजी नं. 155/1 भाग 1.50 एकड़ का व्यवस्थापन प्रकरण कमांक 30अ6/09–10 पारित आदेश दिनांक 22.11.2010 को अपीलार्थी के पक्ष में अपीलांट के नाम भूमि स्वामी घोषित किया गया और उक्त वर्णित आराजी में मकान एवं आम के पेड़ लगाकर सन 1961–62 लगायत 2014 तक अपीलांट अभी वहां रह रहा है । जिसकी ऋण पुस्तिका भी प्रदान की गई एवं अपीलांट का नक्शा तरमीम भी उस आराजी के नम्बर पर है एवं 155/1ख वर्तमान में खसरा कालम 3 में रामसुन्दर ब्राम्हण के नाम दर्ज है।

श्री नारायण ... द्वारा आज दि. 19.9.14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

यहकि, पटवारी हल्का खम्हरिया बदनियती के कारण एक प्रतिवेदन श्रीमान तहसीलदार तहसील रधुराजनगर वृत कोठी के समक्ष दिया जहां पर उक्त प्रतिवेदन तहसीलदार द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर को प्रतिवेदित किया जिस पर अनुभागीय अधिकारी द्वक्षरा बिना सूचना के दिनांक 22.11.2010 को निरस्त कर म0प्र0 शासन दर्ज करने का आदेश दिया पटवारी द्वारा खसरा भूमि स्वामी भी के नाम 2012 तक खसरा दिया जो कि अपर कलेक्टर सतना के यहां अपील की गई जिसमें अपर कलेक्टर आदेश में यह

क्रमशः——2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निग0 3178–दो/2014 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–01–2017	आवेदक अभिभाषक श्री डी0एस0 द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया । 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह प्रकरण म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 57(2) के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 57(2) के अनुसार– "जहां राज्य सरकार तथा किसी व्यक्ति के बीच उपधारा (1) के अधीन के किसी अधिकार के संबंध में कोई विवाद उद्भूत हो, वहां ऐसा विवाद (राज्य सरकार) द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।" स्पष्ट है कि संहिता की धारा 57(2) के अंतर्गत पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से यह निगरानी निरस्त की जाती है। आवेदक चाहे तो सक्षम फोरम में अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। पक्षकार सूचित हो। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापस भेजे जायें। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	